राजस्थान स्टेट को–आपरेटिव बैंक लि0, जयपुर

व्यक्तियों, व्यापारिक फर्मो आदि की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु

अचल सम्पत्ति रहन के विरूद्ध ऋण योजना

(दिनांक 3.06.2016 तक के संशोधन समाहित)

योजना का नाम " अचल सम्पत्ति रहन के विरूद्ध ऋण योजना" होगा	
1–	**उद्देश्य** इस योजना के निम्न उद्देश्य होंगे:–
1.1	व्यक्ति की विधि सम्मत आकस्मिक पारिवारिक, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अचल सम्पत्ति रहन रख कर सावधि ऋण /लिमिट के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना।
1.2	व्यापारिक फर्म की आकस्मिक व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अचल सम्पत्ति रहन रख कर सावधि ऋण/ लिमिट उपलब्ध करवाना।
1.3	किसी भी प्रकार की पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, वाहन क्रय हेतु, उच्च शिक्षा हेतु अतिरिक्त अचल सम्पत्ति निर्माण आदि कार्यों हेतु अचल सम्पत्ति रहन रख कर ऋण उपलब्ध करवाना।
1.4	इस योजनान्तर्गत ऋण केवल एक अचल संपत्ति पर ही उपलब्ध करवाया जायेगा जोकि ऋण देने वाली शाखा से संबंधित जिले में ही स्थित होगी। अर्थात शाखा द्वारा अपने जिले के बाहर स्थित संपत्ति पर ऋण नहीं दिया जायेगा।
1.5	एक सम्पत्ति के विरूद्व एक प्रकार का ऋण ही स्वीकृत किया जा सकेगा। अर्थात जिस सम्पत्ति के निर्माण/ क्रय आदि हेतु आवास ऋण स्वीकृत है,पर ऋण बकाया रहने तक इस योजनान्तर्गत ऋण नहीं दिया जा सकेगा।
2–	**पात्रता** राजस्थान राज्य का कोई भी निवासी जो निम्नांकित परिधि में आता हो, इस योजनांतर्गत ऋण प्राप्त कर सकता है:–
2.1	सरकारी/अर्द्धसरकारी/ स्वायत्तशासी संस्था अथवा सार्वजनिक (सीमित दायित्व) कम्पनियों में कार्यरत स्थाई वेतनभोगी कर्मचारी जिसके पास बैंक के कार्य क्षेत्र में रहन रखने हेतु भार रहित अचल सम्पत्ति वास्तविक कब्जे में उपलब्ध हो।
2.2	• गैर वेतनभोगी व्यक्ति/विधिक व्यक्ति (पंजीकृत संस्था,व्यापारिक फर्म आदि) जो पिछले 3 वर्षो से आयकर निर्धारिती है एवं उसे स्थाई खाता संख्या आबंटित है एवं उसके पास बैंक

	कार्य क्षेत्र में रहन रखने हेतु भार रहित अचल सम्पत्ति वास्तविक कब्जे में उपलब्ध हो। • शीर्ष बैंक स्तर से जारी परिपत्र क्रमांक 10072 दिनांक 28–01–2010 के अनुसार इस हेतु यह ध्यान में रखा जावें कि तीन वर्ष की विवरणियॉ ऋण लेने के प्रयोजन से एक साथ भरकर खाना पूर्ति नहीं की हुई हो, अर्थात वर्ष विशेष की विवरणियॉ आयकर विभाग द्वारा निर्धारित समय अवधि में ही जमा करवाई गई हों। • अस्थाई प्रकृति की आय जैसे सिलाई, ट्यूशन पढाने, हॉकर, बच्चों के पालनागृह चलाना को दीर्घावधि आय के स्त्रोत नहीं माना जायें अर्थात ऋण की पुर्नभुगतान क्षमता के आंकलन में इस प्रकार के व्यवसाय से दर्शायी जाने वाली आय को सम्मिलित नहीं किया जायें। • शीर्ष बैंक के परिपत्र क्रमांक 10072 दिनांक 28–01–2010 से निर्देशित किया गया था कि " एक ही भूमि पर भू–खण्ड क्रय करने एवं निर्माण हेतु आवास ऋण स्वीकृति उपरांत स्वीकृत ऋण के बकाया रहने तक उसी भूमि पर मोर्गेज ऋण अथवा अन्य कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया जावेगा।" तदउपरांत शीर्ष बैंक के परिपत्र क्रमांक 4464 दिनांक 4–8–2010 से उक्त नियम में संशोधन करते हुये निर्णय लिया गया कि यदि कोई ऋणी पूर्व में लिये गये ऋण की नियमित किश्तें तीन–चार वर्षो से जमा करवा रहा है तथा उसकी आय के अनुसार नवीन ऋण की पुर्नभुगतान क्षमता भी बनती है तो ऐसे ऋणी/ ग्राहकों को बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य हेतु पूर्ववर्ती ऋण से निर्मित सम्पत्ति की सिक्यूरिटी पर इस शर्त के साथ ऋण दिया जा सकेगा कि दोनो ऋणों के विरूद्व कुल बकाया की सीमा सम्पत्ति के मूल्यांकन के आधे तक ही सीमित हो अर्थात दोनो ऋण अन्तर्गत अधिकतम बकाया से दूगने मूल्य की सम्पत्ति बैंक द्वारा निर्धारित मूल्यांकन माप दण्डों के अनुरूप उपलब्ध हों। आवेदनकर्त्ता की नौकरी अथवा व्यवसाय से होने वाली आय से दोनों ऋणों की पुर्नभुगतान क्षमता सुनिश्चित की जावें। • किसी व्यक्ति विशेष को एक से अधिक ऋण स्वीकृत करते समय नाबार्ड की ऋण अनुप्रवर्तन व्यवस्था (सीएमए) में निर्देशित एक्सपोजर नोर्मस की सीमा का ध्यान रखा जावे, जो वर्तमान में प्रति व्यक्ति (व्यक्ति, एकल स्वामित्व, पार्टनरशिप फर्म आदि) अधिकतम रूपये 40.00 लाख है।
2.3	अचल सम्पत्ति आवासीय भूमि/भवन, वाणिज्यिक भूमि/निर्मित परिसर आदि राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो तथा ऋणी के नाम पर उसके वास्तविक कब्जे में होनी चाहिये। इसमें मशीनरी आदि सम्मिलित नहीं होगी।
2.4	इस योजनांतर्गत ऋण दो व्यक्तियों के संयुक्त नाम पर भी स्वीकृत किये जा सकेंगे। गैर वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में दोनों व्यक्तियों में से कम से कम एक का आयकर निर्धारिती होना आवश्यक है। सह–ऋण प्रार्थी पति, पत्नी, माता, पिता, पुत्र अथवा पुत्रवधु हो सकती है।
2.5	आवेदक की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम 60 वर्ष हो सकती है।
3	<u>योजना का कार्यक्षेत्र</u> इस योजना के अंतर्गत दी राजस्थान स्टेट को–आपरेटिवव बैंक लि0 की शाखाओं द्वारा अपनें कार्य क्षेत्र में आने वाले पचास हजार से अधिक की जनसंख्या वाले कस्बे/शहर में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों को ऋण दिया जा सकेगा **जिनकी रहन रखने योग्य अचल सम्पत्ति भी शाखा कार्यक्षेत्र वाले जिले में स्थित हो।**
4	**<u>ऋण राशि एवं ऋणी का अंशदान</u>**
4.1	**न्यूनतम ऋण राशि रूपये 1.00 लाख एवं अधिकतम रूपये 35.00 लाख का ऋण दिया जा सकेगा।**

4.2	अचल सम्पत्ति की डीएलसी कीमत अथवा बाजार दर दोनों में से जो भी कम हो, की 60 प्रतिशत राशि तक का ऋण इस योजनांतर्गत उपलब्ध कराया जा सकेगा। सम्पत्ति की कीमत का आंकलन बैंक के अधिकृत मूल्यांकनकर्ता से कराया जावेगा।
4.3	यह ऋण निम्न प्रकार से ऋणी की आवश्यकता अनुसार स्वीकृत किया जा सकेगा :– 1. सावधि ऋण – अधिकतम 10 वर्ष हेतु। 2. साख सीमा के रूप में लिमिट – लिमिट की अधिकतम सीमा संपत्ति के DLC मूल्य अथवा बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, के 50 प्रतिशत तक निर्धारित की जाएगी, जिसकी भी अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी – • प्रथम वर्ष में अधिकतम रू0 10.00 लाख तक, प्रथम वर्ष के लिमिट के लेनदेन, ब्याज के चुकारे व टर्म ऋण के चुकारे (यदि है तो), संपत्ति के मूल्य आदि को ध्यान में रखते हुए द्वितीय वर्ष में 15 लाख तक ही स्वीकृत की जावे, यदि ऋणी की पात्रता अधिक राशि की बनती है तो शेष राशि पूंजीगत ऋण के रूप में स्वीकृत की जा सकती है । लिमिट के रूप में ऋण तीन वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किया जावेगा एवं प्रति वर्ष खाते के लेनदेन, ब्याज के चुकारे व सामान्य बैंकिंग अनुशासन की अनुपालना को दृष्टिगत रखते हुए नवीनीकरण किया जा सकेगा **यानि ऋणी द्वारा एक वर्ष की अवधि में स्वीकृत ऋण राशि के 3 से 4 गुना तक की राशि का रोटेशन करना होगा अथवा नवीनीकरण के समय बकाया शून्य या जमा बैलेन्स करना होगा । अन्यथा स्थिति में नवीनीकरण के समय स्वीकृत ऋण राशि प्रथम वर्ष में स्वीकृत ऋण की प्रति वर्ष 1/3 घटा दी जावेगी, ताकि तीन वर्षो की अवधि में ऋण खाता शून्य हो जावे ।**
5	<u>ऋण की अवधि</u>
5.1	इस योजनांतर्गत ऋण चुकाने की अधिकतम अवधि (स्थगन एवं पुर्नभुगतान अवधि सहित) गैर वेतनभोगी आवेदक हेतु 15 वर्ष, वेतनभोगी कर्मचारी के मामले में 20 वर्ष अथवा कर्मचारी के सेवानिवृति की तिथि अथवा अन्य मामलों में 65 वर्ष की आयु में से जो भी कम होगी, के आधार पर निर्धारित की जावेगी। अधिकतम आयु सीमा के अन्तर्गत सह–आवेदक या आवेदक किसी एक की आयु अनुमत सीमा में होने पर ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा चाहे द्वितीय आवेदक सह– आवेदक की आयु अधिक हो।
5.2	ऋण पुनर्भुगतान की अवधि का निर्धारण ऋणी की पुनर्भुगतान क्षमता एवं ऋण राशि के आधार पर किया जावेगा।
5.3	साख सीमा के रूप में लिमिट स्वीकृति पर प्रति वर्ष लिमिट का नवीनीकरण निर्धारित अवधि पूर्व करवाना आवश्यक होगा अन्यथा लिमिट अवधिपार हो जावेगी एवं ऐसी दशा में बैंक द्वारा एक मुश्त ऋण वसूली की कार्यवाही की जा सकेगी एवं ऋणी द्वारा दण्डनीयब्याज भी देय होगा।
6	<u>ऋण पर ब्याज</u>
6.1	योजनांतर्गत अग्रिम किये गये ऋण पर ब्याज दर बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती रहेगी एवं सावधि ऋण स्वीकृति के समय जो ब्याज दर होगी वह उक्त ऋण के पूर्ण पुनर्भुगतान अवधि तक लागू रहेगी। परिवर्तनीय ब्याज दर का विकल्प लेने पर बैंक द्वारा ब्याज दर में

Rajasthan State Co-op. Bank Ltd. JAIPUR

	परिवर्तन के साथ स्वमेव ही ब्याज दर में परिवर्तन हो जावेगा।
6.2	साख सीमा के रूप में स्वीकृत ऋण पर परिवर्तनीय ब्याज दर का विकल्प लागू होगा।
6.3	ऋण राशि पर ब्याज मासिक आधार पर वसूल किया जावेगा।
6.4	समान मासिक किश्तों का भुगतान समय पर नहीं किये जाने पर अवधिपार राशि पर 3.00 प्रतिशत वार्षिक की दर से दण्डनीय ब्याज भी चूक की अवधि तक, चूक की राशि पर अतिरिक्त वसूल किया जावेगा। दण्डनीय ब्याज भी मासिक आधार पर वसूल किया जावेगा।
7–	**<u>पुनर्भुगतान क्षमता का आंकलन</u>**
7.1	सामान्यतया ऋण की पुनर्भुगतान क्षमता का आंकलन ऋणी आय के अधिकतम 50 प्रतिशत के बराबर पर किया जावेगा परन्तु वेतन से होने वाली कटौतियों, मासिक खर्चों एवं बचत क्षमता के आधार पर इसे कम भी किया जा सकेगा। अपेक्स बैंक की संचालक मण्डल की सम्पन्न बैठक दिनांक 27.02.2015 के विषय संख्या 15 पर बैंक की व्यक्तिगत ऋण योजना में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :– 1 आवास ऋण के साथ साथ मोर्टगेज ऋणों (सावधि ऋण व लिमिट दोनों) के लिए निम्न स्लैब्स होंगे:–

क्र0 सं0	आवेदकों की कुल आय	पुनर्भुगतान क्षमता (आय के प्रतिशत में)
1	रूपये 5.00 लाख तक	50 प्रतिशत
2	रूपये 5.00 लाख से अधिक से लेकर 10.00 लाख तक	55 प्रतिशत
3	रूपये 10.00 लाख से अधिक	60 प्रतिशत

इस संबंध में नाबार्ड की ऋण अनुप्रवर्तन प्रणाली अन्तर्गत व्यक्तियों हेतु निर्धारित एक्सपोजर मापदण्डों की पालना सुनिश्चित करनी होगी साथ ही ऋण वितरण से पूर्व स्वंय शाखा प्रबंधक द्वारा सम्पत्ति का भौतिक सत्यान किया जावेगा।

7.2	संयुक्त अथवा सह–ऋणी के मामले में पुनर्भुगतान क्षमता की गणना दोनों की कुल आय के 40 प्रतिशत के बराबर ली जा सकेगी (यदि सयुक्त/सह– ऋणी) बिन्दु सं0 2 में वर्गीकृत श्रेणी के वेतनभोगी कर्मचारी हों अथवा आयकर निर्धारिती हों।)
7.3	वेतनभोगी कर्मचारियों के अतिरिक्त विधिक व्यक्ति की आय की गणना पिछले 3 वर्षों की औसत वार्षिक आय के आधार पर की जावेगी।
7.4	पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर ऋणी द्वारा मासिक समान किश्तों में पुनर्भुगतान किया जावेगा एवं पुनर्भुगतान ऋण राशि निर्गमित करने की दिनांक के अगले माह से ही प्रारम्भ हो जावेगी।
7.5	ऋणी /एवं सह–ऋणी की पुनर्भुगतान क्षमता का आंकलन करते समय उनके द्वारा अन्य संस्थाओं से लिये गये ऋण, खर्चों आदि को भी ध्यान में रखा जावेगा।

8	<u>ऋण की सुरक्षा/प्रत्याभूति</u> इस योजनांतर्गत अग्रिम किये गये ऋण को निम्नानुसार प्रत्याभूति प्राप्त कर सुरक्षित किया जावेगा :–
8.1	जिस अचल सम्पत्ति को रहन रख कर ऋण लिया गया है वह सम्पूर्ण सम्पत्ति बैंक के पक्ष में साम्य/पंजीकृत बंधक के रूप में रहेगी तथा बैंक का उस सम्पत्ति पर प्रथम भार रहेगा।
8.2	प्रार्थी द्वारा प्राप्त ऋण एवं उस पर लगाये गये ब्याज के पूर्ण भुगतान के लिये बैंक सन्तुष्टि वाली आर्थिक क्षमता वाले एक व्यक्ति की जमानत।
8.3	ऋणी द्वारा निर्धारित मासिक समान किश्तों के अग्रिम चैक (अन्य बैंक के) बैंक के पक्ष में भर कर जमा कराने होंगे ताकि समान मासिक किश्तों का नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
8.4	(अपेक्स बैंक की संचालक मण्डल की दिनांक 27.02.2015 को सम्पन्न बैठक के विषय संख्या 15 पर बैंक की व्यक्तिगत ऋण योजना में संशोधन अनुसार बिन्दु संख्या 8.4, 8.5 एवं 8.6) बैंक की शाखाओं द्वारा दिये जाने वाले ऋण मूलतः बैंक मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट पर आधारित होते है अतः किसी अवस्था में यदि ऋण खाता अवधिपार होता है और रहन रखी गई सम्पत्ति के मूल्य से ऋण की वसूली संदिग्ध होती है, तो ऐसी अवस्था में सम्बन्धित मूल्याकंनकर्ता को ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।
8.5	यदि कोई व्यक्ति सरकारी निकाय यथा जेडीए, राजस्थान आवासन मण्डल एवं नगर निगम से सीधे कोई सम्पत्ति कय करता है तो सम्पत्ति का मूल्यांकन सम्बन्धित निकाय द्वारा निर्धारित मूल्य को आधार मानकर किया जा सकेगा। यदि ऋणी उक्त सम्पत्ति को अन्य किसी व्यक्ति से कय करता है तो सम्पत्ति का मूल्यांकन डीएलसी अथवा निकाय द्वारा मूल्य के रूप में ली गई राशि में से जो भी अधिक हो, को आधार मानकर किया जा सकता है परन्तु उसका मूल्यांकन किसी भी अवस्था में बाजार मूल्य से अधिक नही हो सकेगा।
8.6	निकाय द्वारा निर्धारित/लिये गये मूल्य के आधार पर मूल्यांकन करने की अवस्था में बैंक द्वारा आवास ऋणों तथा मोर्गेज ऋणों में 25 प्रतिशत राशि मार्जिन के रूप में रखी जानी चाहिए अर्थात आवास ऋणों तथा मोर्गेज ऋणों में 75 प्रतिशत तक की राशि का ही ऋण उपलब्ध करवाया जा सकेगा।
9	<u>बीमा</u>
9.1	योजनांतर्गत रहन रखी गई सम्पत्ति का आग एवं अन्य खतरों के लिये बैंक के संयुक्त नाम से बीमा करवाना अनिवार्य होगा। बीमा के प्रीमियम की राशि का भुगतान ऋणी द्वारा किया जावेगा। ऋणी द्वारा बीमा नहीं कराने की स्थिति में बैंक द्वारा बीमा कराया जावेगा जिसके प्रीमियम की राशि ऋणी के ऋण खाते में नामे लिखी जावेगी।

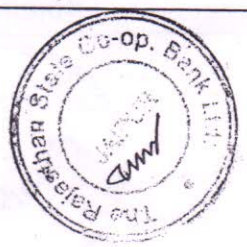

9.2	प्रारम्भिक तौर पर ऋण लेने के एक माह के अंदर सम्पत्ति का बीमा कराना होगा तथा बाद में उसका प्रति वर्ष नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा जिनकी छाया प्रति ऋणी द्वारा शाखा प्रबन्धक को उपलब्ध कराई जावेगी। समय पर बीमा सुनिश्चित करने के लिये शाखा प्रबन्धक द्वारा ड्यू डेट डायरी रखी जावेगी।
10	**स्वीकृत ऋण का आहरण**
10.1	सावधि ऋण के मामले में ऋणी द्वारा स्वीकृत ऋण का आहरण एकमुश्त किया जा सकेगा। साख सीमा की दशा में लिमिट अन्तर्गत आवश्यकतानुसार ऋणी ऋण राशि के आहरण के लिये स्वतंत्र होगा।
11	**सदस्यता**
11.1	ऋण के इच्छुक प्रार्थी/प्रार्थीगण तथा जमानतदार को आवश्यक रूप से बैंक का नोमिनल सदस्य बनना होगा। इस प्रयोजन हेतु प्रार्थीगण तथा जमानतदातार को 10/– रूपया सदस्यता शुल्क एवं उप–नियमों के तहत रूपये 1000/– की मियादी अमानत, जिसकी अवधि ऋण चुकारे की कुल अवधि से अधिक हो, जमा करानी होगी।
12	**अन्य**
12.1	स्वीकृत ऋण के दुरूपयोग अथवा अनुबन्ध एवं ऋण स्वीकृति की शर्तो का अथवा अन्यथा उल्लंघन पाये जाने पर बैंक को ऋण की स्वीकृति रद्द करने/ जारी किये गये ऋण की समस्त राशि मय ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं अन्य खर्चो के एकमुश्त वसूल करने का अधिकार होगा।
13	ऋण स्वीकृति के अधिकार
13.1	शाखा स्तर पर ऋण स्वीकृति निम्न गठित कमेटी द्वारा की जावेगीः– अ– सहायक महा प्रबंधक स्तर की शाखा– 1. सहायक महा प्रबंधक 2. वरिष्ठ प्रबंधक 3. प्रबंधक(ऋण) ब– वरिष्ठ प्रबंधक स्तर की शाखा– 1. वरिष्ठ प्रबंधक 2. प्रबंधक(ऋण)
13.2	शाखा स्तर पर मोर्गेज ऋण हेतु स्वीकृति का अधिकार निम्न प्रकार है– शाखा प्रबन्धक/शाखा स्तर की शाखा ऋण समिति — रूपये 10.00 लाख तक शाखा स्तर पर स्वीकृति की अधिकतम सीमा से अधिक राशि के ऋण आवेदन पत्र, वित्तीय जॉच कर शाखा स्तर पर गठित समिति की सिफारिश के साथ लेखा एवं वित्त अनुभाग, प्रधान कार्यालय को प्रेषित किये जावेगे।

Rajasthan State Co-op. Bank Ltd.

13.3	प्रधान कार्यालय स्तर पर शाखाओं से वर्णित प्रयोजनों बाबत रूपये 15.00 लाख तक के ऋण प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु निम्न कमेटी अधिकृत है:– महा प्रबंधक — अध्यक्ष उप–महाप्रबंधक(परिचालन) — सदस्य उप–महाप्रबंधक(लेखा एवं वित्त) — सदस्य सचिव महाप्रबंधक को यह अधिकार होगा कि प्रधान कार्यालय स्तर पर प्राप्त होने वाले ऋण आवेदन पत्रों की वित्तीय जॉच प्रधान कार्यालय स्तर पर कार्यरत किसी अधिकारी को अधिकृत कर की जा सकेगी।
13.4	प्रबंध निदेशक बैंक द्वारा प्रधान कार्यालय स्तर की समिति की अनुशंसा पर रूपये 25.00 लाख तक का ऋण स्वीकृत किया जावेगा।
13.5	रूपये 25.00 लाख से अधिक का ऋण संचालक मण्डल की ऋण समिति/प्रशासकीय निर्णय द्वारा स्वीकृत किया जावेगा।
14	**प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) शुल्क**
14.1	इस योजनांतर्गत ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकृत ऋण राशि के 1.00 प्रतिशत की दर से (न्यूनतम रूपये 1000/–) प्रसंस्करण शुल्क जमा कराना आवश्यक होगा। उक्त राशि में से ऋण आवेदन–पत्र के साथ रूपये 1000/– जमा कराने होंगे जो वापिस देय नहीं होंगे। शेष राशि ऋण अग्रिम से पूर्व जमा करानी आवश्यक होगी। यदि सर्विस टैक्स आदि भी देय हो तो वह ऋणी द्वारा पृथक से देय होगा।
15	**दस्तावेज:**
15.1	उक्त ऋण अग्रिम के संबंध में बैंक द्वारा, निर्धारित निम्नांकित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे:– 1. गैर–वेतनभोगी आवेदक/सह आवेदक द्वारा गत 3 वर्ष की आयकर विवरणी दाखिल करने/एसेसमेन्ट आदेश की प्रति। 2. वेतनभोगी आवेदक/सह आवेदक की गत 3 माह के वेतन एवं कटौतियों का नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण–पत्र। 3. आवेदक/सह आवेदक का निवास का प्रमाण–पत्र (मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/आयकर विभाग द्वारा जारी स्थाई लेखा संख्या की प्रति अथवा बिजली/पानी के बिल की प्रति।) 4– आयु का प्रमाण–पत्र। 5– ऋण के उपयोग संबंधी विवरण । 6–अचल सम्पत्ति के आवंटन/कय करने सम्बन्धी दस्तावेज (मालिकाना हक के दस्तावेज) की प्रति।

The Rajasthan State Co-op. Bank Ltd.

	7– जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद द्वारा अनुमोदित मान–चित्र की प्रति या निर्माण की अनुमति। 8– रहन रखी जाने वाली अचल सम्पत्ति पर मालिकाना हक व हक का गत 15 वर्ष का भार रहित प्रमाण–पत्र।
	शीर्ष बैंक के लेखा एवं वित्त अनुभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 23–03–2011 के निर्देशानुसार ऋण प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व कम्प्यूटर पर इन्टरनेट से संबंधित ग्राहक तथा गारण्टर की सिबिल की वेबसाईट cibil.com से CREDIT INFORMATION REPORT प्राप्त करें ताकि ऋणी तथा गारण्टर की विविध विगत के साथ साथ अन्य बैंकों के साथ उनके चल रहे ऋण व्यवहार तथा वित्तीय अनुशासन का भी पता लगाया जा ससकें। इस सेवा का ऋण की सुरक्षा हेतु अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया जायेताकि शाखा प्रबंधक एवं शाखा स्टाफ खराब ऋण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से सुरक्षित रह सकें।